Ascension Wisconsin

Ascension SE Wisconsin Hospital – St Joseph Campus, Ascension SE Wisconsin Hospital – Elmbrook Campus, Ascension SE Wisconsin Hospital – Wauwatosa/Brown Deer Campus, Ascension All Saints Hospital, Ascension SE Wisconsin Hospital – Franklin Campus, Ascension St. Francis Hospital and Midwest Orthopedic Specialty Hospital, LLC, Ascension Wisconsin Surgery Center-Mount Pleasant, Columbia St. Mary's Hospital Milwaukee, St. Mary's Hospital Ozaukee, and Sacred Heart Rehabilitation Institute, Ascension Wisconsin Hospital Greenfield Campus (Emerus का संयुक्त उद्यम), Ascension Wisconsin Hospital Menomonee Falls Campus (Emerus का संयुक्त उद्यम), Women's Outpatient Center, ASWI- AMG-WI Avenue Family Practice, Ascension Calumet Hospital, Ascension NE Wisconsin Mercy Hospital, Ascension NE Wisconsin St. Elizabeth Hospital, और संबंधित Ascension Medical Group प्रदाता।

<u>वित्तीय सहायता नीति का सारांश</u>

Ascension Wisconsin, जिसमें उपरोक्त सूचीबद्ध स्वास्थ्य मंत्रालय शामिल हैं, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा के प्रति प्रतिबद्ध है और उनका सम्मान करता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करते हैं। Ascension Wisconsin पूरे समुदाय की सेवा के रूप में अपने स्वास्थ्य संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है। इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए, Ascension Wisconsin उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो Ascension Wisconsin से आपातकालीन या अन्य चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल प्राप्त करते हैं। यह सारांश Ascension Wisconsin की वित्तीय सहायता नीति का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है।

<u>कौन पात्र है?</u>

अगर आप विस्कॉन्सिन की किसी भी काउंटी में रहते हैं, जहाँ Ascension WI की सुविधा या क्लिनिक है, तो आपको वित्तीय सहायता मिल सकती है। इसमें आउटगेमी, विन्नेबागो, कैलुमेट, मैराथन, पोर्टेज, लिंकन, वनइडा, विलास, क्लार्क, मिल्वौकी, वौकेशा, ओज़ौकी, वाशिंगटन, रेसीन, केनोशा और जेफ़रसन काउंटी शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। वित्तीय सहायता का निर्धारण आम तौर पर संघीय गरीबी के स्तर की तुलना आपकी कुल घरेलू आय से करके किया जाता है। यदि आपकी आय संघीय गरीबी स्तर के 250% से कम या इसके बराबर है, तो आपको उन शुल्कों के भाग पर 100% चैरिटी देखभाल राइट-ऑफ मिल सकता है, जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आपकी आय संघीय गरीबी के स्तर के 250% से अधिक है पर संघीय गरीबी के स्तर के 400% से अधिक नहीं है, तो आप को विसर्पी पैमाने (स्लाइडिंग स्केल) पर रियायती दरें प्राप्त हो सकती हैं। यदि आपातकालीन और चिकित्सीय रूप से आवश्यक देखभाल के लिए आपका चिकित्सीय कर्ज आपकी आय से अधिक है, तो आप छूट के पात्र हो सकते हैं। यदि आपकी संपत्ति आपकी संघीय गरीबी स्तर की आय राशि के 250% से अधिक है, तो आप वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे। जो मरीज़ वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं, उन्हें पात्र देखभाल के लिए सामान्यतः बीमा कवरेज वाले मरीज़ों को बिल की जाने वाली राशि से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

<u>कौन सी सेवाएं शामिल हैं?</u>

वित्तीय सहायता नीति आपातकाल और अन्य आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल पर लागू होती है। इन शर्तों को वित्तीय सहायता नीति में परिभाषित किया गया है। अन्य सभी सेवाएं वित्तीय सहायता नीति में शामिल नहीं हैं।

<u>मैं कैसे आवेदन कर सकता/सकती हूँ?</u>

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए, आपको एक लिखित आवेदन पूरा करना होगा और सहायक दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे, जैसा कि वित्तीय सहायता नीति और वित्तीय सहायता नीति के आवेदन में वर्णित है। अपने पहले विवरण पत्र की तारीख से 240 दिनों के भीतर लिखित आवेदन पूरा करें और सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज़ प्रदान करें। आपके आवेदन की समीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की जाएगी कि आप वित्तीय सहायता कार्यक्रम और किसी भी योग्य तृतीय-पक्ष भुगतानकर्ता या सहायता कार्यक्रम के लिए पात्र हैं या नहीं। आपका आवेदन और सहायक दस्तावेज़ प्राप्त करने के बाद, हम आपको लिखित रूप में सूचित करेंगे कि आप इस कार्यक्रम के लिए पात्र हैं या नहीं।

<u>मुझे आवेदन करने में मदद कैसे मिल सकती है?</u>

वित्तीय सहायता नीति के आवेदन में सहायता के लिए, आप किसी भी Ascension WI सुविधा में वित्तीय सलाहकार के साथ अपॉइंटमेंट लेने का अनुरोध कर सकते हैं, या 877-304-6332 पर किसी वित्तीय सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं।

<u>मैं अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?</u>

वित्तीय सहायता नीति और वित्तीय सहायता नीति के आवेदन फ़ॉर्म की प्रतियाँ *https://healthcare.ascension.org/Financial-Assistance/Wisconsin* पर उपलब्ध हैं और किसी भी Ascension WI सुविधा या कार्यालय के सूचना, पंजीकरण और आपातकालीन विभागों में भी प्राप्त की जा सकती हैं। वित्तीय सहायता नीति और वित्तीय सहायता नीति के आवेदन की नि:शुल्क प्रतियां डाक के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती हैं। इसके लिए अनुरोध भेजें: Financial Advocate, Ascension Wisconsin, PO Box 860496 Minneapolis, MN 55486-0496. वित्तीय सहायता नीति के बारे में <u>अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए</u> 877-304-6332 पर कॉल करें।

<u>अगर मैं पात्र नहीं हूँ तो क्या होगा?</u>

अगर आप वित्तीय सहायता नीति के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं हैं, तो आप अन्य प्रकार की सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, किसी भी Ascension WI सुविधा में वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें, या 877-304-6332 पर फ़ोन के माध्यम से संपर्क करें।

वित्तीय सहायता नीति, वित्तीय सहायता नीति आवेदन और निर्देश, और सरल भाषा में इस सारांश के अनुवाद निम्न भाषाओँ में हमारी वेबसाइट पर और अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध है:

स्पेनी, हमोंग, रूसी, अरबी

अपडेट किया गया 7/01/2023